### **1**आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384 / 2015

### न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384/2015</u> संस्थित दिनांक:-28/12/15

A STAL PARETO

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद जिला—भिण्ड म०प्र०

अभियोजन

बनाम्

विमलेश बाथम पुत्र शंकर बाथम उम्र
 47 वर्ष निवासी पंचमपुरा वार्ड नं. 2
 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

अभियुक्त

\_\_\_\_\_

(आरोप अंतर्गत धारा— 25 (1—बी)(बी) आयुद्ध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधि0 श्री के०पी०राठौर )

## <u>// निर्णय //</u>

//आज दिनांक 18/02/17 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 26/11/15 को 2:10 बजे गोलम्बर तिराहे गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क. 6312—6552—11—बी (1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार का धारादार लोहे का धारिया अपने आधिपत्य मे रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी)(बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26/11/15 को थाना गोहद का प्रधान आरक्षक श्याम करन शर्मा 2:10 बजे वारण्ट तामील हेतु करबे में गये थे। वारण्टियों की तलाश कर थाना वापस आ रहा था तो गोलम्बर तिराहे पर विमलेश बाथम संदिग्ध अवस्था में ठेले के पीछे छिप गया था, उसकी तलाशी ली गयी थी तो एक लोहे का धारिया उसके पास से मिल गया था, जिसके फल की

#### 2आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384/2015

लम्बाई 17 इंच थी। आरोपी से धारिया रखने बाबत लाइसेंस मांगा था तो आरोपी ने लाइसेंस न होना बताया था। आरोपी से मौके पर ही साक्षी राकेश बाथम एवं सुंदर बाथम के समक्ष धारिया जप्त कर जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। तत्पश्चात् थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अप०क० 39/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है

### 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है-

- 1. क्या आरोपी दिनांक 26/11/15 को 2:10 बजे गोलम्बर तिराहे गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का धारादार लोहे का धारिया वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य मे रखे ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ.सा. 1, साक्षी राकेश मांझी अ.सा. 2 एवं सुंदर अ.सा. 3 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

# [ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ] विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक श्याम करण शर्मा अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 26/11/15 को 2:10 बजे वारण्ट तामील हेतु करबा गोहद में गया था। वारण्टियों की तलाश कर थाना वापस आ रहा था तो गोलम्बर तिराहे पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर काठ ठेले के पीछे छिप गया था, उसे घेरकर पकड़ा था, उसकी तलाशी ली थी, वह लोहे का धारिया लिये हुये था। नाम पता पूछने पर उसे अपना नाम विमलेश

### 3आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384/2015

बाथम बताया था। आरोपी के पास धारिया रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। आरोपी से मौके पर ही साक्षी राकेश एवं सुंदर के समक्ष धारिया जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं आरोपी को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनाम प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए1 का धारिया वही धारिया है जो उसने आरोपी से जप्त किया था।

- 8. प्रतिप्रशिक्षण के पद क. 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में रोजनामचा रवानगी सान्हा संलग्न नहीं किया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने रोजनामचे की जो नकल पेश की है, उसमें भी रवानगी का स्थान खाली है। उक्त साक्षी ने इसी पद क. में यह भी व्यक्त किया है कि गोलम्बर तिराहे पर किस स्थान पर उसने जप्तीपत्रक बनाया था, उसका लेख जप्ती पंचनामे में नहीं है। उनसे प्रदर्श पी 1 में धारिया की लम्बाई 17 से.मी. लेख की है सहवन से इंच लिख गया है। उक्त धारिया का फल 17 से.मी. का था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए1 पर गवाहों के हस्ताक्षर युक्त चिट नहीं चुपकी है और न ही उस पर चपड़ी की कोई शील लगाई गई है, उसके साथ आरक्षक कमलेश भी गोलम्बर तिराहे पर गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरक्षक कमलेश का प्रकरण में कोई कथन नहीं लिया है। उक्त साक्षी ने इसी पद क. में यह भी स्वीकार किया है कि उसने जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद नहीं किया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. में उल्लेखित घटना के समय 2:10 बजे उसने कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया था।
- 9. साक्षी राकेश मांझी अ.सा. 2 एवं सुंदर अ.सा. 3 जिसे जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी विमलेश को नहीं जानता है, उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी। उक्त दोनों साक्षीगण ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर मात्र अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ह गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने विमलेश से एक धारिया जप्त किया था।
- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

### 4आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384/2015

- 11. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में साक्षी राकेश मांझी अ.सा. 2 एवं सुंदर अ.सा. 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण के कथन से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 12. प्रकरण में साक्षी राकेश मांझी अ.सा. 2 एवं सुंदर अ.सा. 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपी के विरुद्ध मात्र जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ.सा. 1 के कथन शेष हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
- प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ.सा. 1 ने न्यायालय के 13. समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह घटना वाले दिन 2:10 बजे वारण्ट तामील हेतु कस्बा गोहद में गया था। वारण्टियों की तलाश कर वह वापस थाने आ रहा था तो उसे गोलम्बर तिराहे पर आरोपी दिखा जो पुलिस को देखकर काठ ठेला के पीछे छिप गया था, उसे पकड़ा था। आरोपी लोहे का धरिया लिये हुये था। उसने मौके पर ही आरोपी से लोहे का धारिया जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं आरोपी को गिरफुतार कर गिरफुतारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था। इस प्रकार फरियादी श्याम करण शर्मा अ.सा. 1 ने घटना दिनांक को वारण्ट तामील हेतु कस्बा गोहद जाना एवं गोलम्बर तिराहे पर आरोपी से धारिया जप्त करना बताया है, परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा रवानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी रोजनामचा सान्हा क. 1 कॉलम रिक्त है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी थाने से खाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी के थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रधान आरक्षक श्याम करण शर्मा अ.सा. 1 द्वारा ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत करने का कोई कारण बताया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है ।
- 14. प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने आरोपी से जो धारिया जप्त किया था, उसका फल 17 से.मी. था, परंतु सहवन से प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे में 17 इंच लिखा गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 के जप्ती पंचनामे में

### **5**आपराधिक प्रकरण कमांकः–1384 / 2015

जप्तशुदा धारिया के फल की लम्बाई 17 इंच है तथा हत्ते की लम्बाई 5 इंच लेख है। जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 द्वारा यह बताया गया है कि प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे में धारिया के फल की लम्बाई 17 इंच सहवन से लेख हो गयी है जबकि धारिया के फल की लम्बाई 17 से.मी. थी, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जप्तशुदा धारिया के फल की लम्बाई 17 इंच लेख है ऐसी स्थिति में श्यामकरन शर्मा का यह कथन कि 17 इंच सहवन से अंकित हो गया है उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारिया के फल की लम्बाई 17 इंच लेख है जबिक श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान धारिया के फल की लम्बाई 17 से.मी. होना बताया है इस प्रकार जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट नहीं रहा है। उक्त विसंगति अत्यंत तात्विक है जो कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देती है।

- 15. प्रदर्श पी 1 के जप्ती पंचनामे में जप्तशुदा धारिया को मौके पर शीलबंद किये जाने का उल्लेख है, परंतु जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि आर्टिकल ए1 के धारिये को मौके पर शीलबन्द नहीं किया गया था। इस प्रकार श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा जप्तशुदा धारिया को मौके पर शीलबंद नहीं किया गया था, परंतु जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में जप्तशुदा धारिया को मौके पर शीलबंद किये जाने का उल्लेख है। इसप्रकार उक्त बिन्दु पर भी श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 के कथन जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 से भी विरोधाभाषी रहे हैं जो जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 16. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 के अनुसार आरोपी से घटना दिनांक को 3:10 बजे धारिया जप्त किया गया था एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 के अनुसार आरोपी को 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया था, परंतु प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय 2:10 बजे अंकित है जबकि श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 के कथनानुसार वह 2:10 बजे वारण्ट की तामील हेतु कस्बा गोहद रवाना हुआ था। प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय 2:10 बजे अंकित है, जबिक 2:10 बजे गोलम्बर तिराहे पर कोई कार्यवाही किया जाना प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे एवं प्रदर्श पी 2 के गिरफ्तारी पंचनामे से दर्शित नहीं है। रोजनामचा सान्हा भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य भी सम्पूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देता है।
- 17. जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 ने साक्षी राकेश मांझी एवं सुंदर के समक्ष आरोपी विमलेश से धारिया जप्त करना बताया है, परंतु साक्षी राकेश मांझी अ.सा. 2 एवं सुंदर अ.सा. 3 द्वारा जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है

### 6आपराधिक प्रकरण कमांक:-1384 / 2015

कि उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी। यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

- 18. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता श्यामकरन शर्मा अ.सा. 1 के कथन भी प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं। जप्तशुदा धारिया को शीलबंद भी नहीं किया गया है। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 26/11/15 को 2:10 बजे गोलम्बर तिराहे गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में निषेधित आकार का लोहे का धारिया वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी विमलेश को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी)(बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 21. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
- 22. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का धारिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़—तोड़ कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद.

दिनांक:-18.02.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)